

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/R-ITMS-V/ 7108

दिनांक 26/2/26

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय:- दिनांक 06.03.2026 को Rajasthan Integrated Tax Management System (R-ITMS) के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण।

महोदय,

IFMS के तहत विकसित R-ITMS के अन्तर्गत कार्मिकों के वेतन भुगतान, पेंशनर्स के पेंशन भुगतान एवं वेण्डर्स को किए जाने वाले भुगतान में से कर कटौती किए जाने, डीडीओ द्वारा रिटर्न फाइल किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी सभी विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को उपलब्ध करवाये जाने हेतु दिनांक 16.04.2025 को COERRA Bhawan, झालाना औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था परन्तु R-ITMS टीम द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी भी बहुत कम DDO's द्वारा R-ITMS का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को R-ITMS के पुनः ऑफलाईन प्रशिक्षण दिए जाने का अनुरोध किया है।

R-ITMS टीम के अनुरोध के क्रम में दिनांक 06.03.2026 को प्रातः 10.30 बजे से 1.00 बजे ट्रेनिंग हॉल, COERRA Bhawan, झालाना औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में R-ITMS का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। सभी प्रतिभागी प्रातः 10.00 बजे संस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः आपके विभागाध्यक्ष कार्यालय के उक्त कार्य से संबंधित 2 अधिकारियों/कार्मिकों (जिसमें से एक लेखा सेवा से संबंधित हो) को प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। आपके विभाग द्वारा अधिकारी/कार्मिक को नामित कर सूचना दिनांक 04.03.2026 तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, जयपुर के ई-मेल आई.डी. PFMTI@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करवाने का अनुरोध है।

भवदीया

(26/2/2026)

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर


Website - dta.rajasthan.gov.in

e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in

Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/R-ITMS-V/7109-14 दिनांक 26/2/26
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. महाप्रबन्धक (तकनीकी), RISL जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. R-ITMS टीम को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण दिये जाने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)